ट्रेड परिपत्र

विषय : 'हरित श्रेय' के संबंध में।

एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा जारी 'हरित सागर' ग्रीन पोर्ट दिशा-निर्देशों के तहत ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए, आईएपीएच द्वारा दिए गए ईएसआई स्कोर के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल पोतों को सौंपने का निर्णय लिया गया है।

एक योजना "हरित श्रेय" शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें जहाज मालिकों के प्रयासों को मान्यता दी जाएगी और मंडल की मंजूरी से पत्तन शुल्क में छूट प्रदान करके उनकी सराहना की जाएगी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- 1. कार्गी संचालन (लोडिंग / अनलोडिंग) के उद्देश्य से एनएमपीए के बर्थ पर आने वाले सभी पोतों के लिए पोत संबंधी शुल्क के **पत्तन शुल्क** घटक पर छूट की मात्रा तय करना:
 - क) जिनका एसआई स्कोर 30 या उससे अधिक है, लेकिन 40 से कम है आधा प्रतिशत (0.5%)।
 - ख) जिनका ईएसआई स्कोर 40 या उससे अधिक है, लेकिन 50 से कम है एक प्रतिशत (1.0%)।
 - ग) जिनका ईएसआई स्कोर 50 या उससे अधिक है डेढ़ प्रतिशत (1.5%)।
- 2. ऐसी छूट का लाभ उठाने के लिए पोत एजेंट को आईएपीएच द्वारा जारी प्रमाण पत्र की पोत मास्टर की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें ईएसआई स्कोर स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध हो।
- 3. एनएमपीए में आने वाले सभी पोतों को अनिवार्य रूप से ऊपर (2) में उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, भले ही ऊपर (1) में उल्लिखित छूट लागू हो या न हो। यदि किसी पोत के पास ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है, तो पोत या एजेंट से एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें कहा गया हो कि पोत के पास आईएपीएच द्वारा जारी ईएसआई स्कोर नहीं है।
- 4. ये छूट पोतों के बर्थ पर आने वाले सभी पोतों के लिए तुरंत लागू होगी और 31.03.2025 तक वैध रहेगी और उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

हार्बर मास्टर नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण

वितरण सूची:

- 1. अध्यक्ष, मंगलूर स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन (व्यापक प्रचार करने के अनुरोध के साथ)।
- 2. विस व मुलेअ/या प्र/मुचिअ को सूचनार्थ।
- 3. अध्यक्ष के निजी सचिव को सूचनार्थ।
- 4. उपाध्यक्ष के निजी सचिव को सूचनार्थ।
- 5. वरिष्ठ उप नि. (ईडीपी) को एनएमपीए वेबसाइट में प्रकाशनार्थ।
- 6. हिंदी अनुभाग(अनुवाद के लिए और एनएमपीए वेबसाइट में प्रकाशनार्थ वरिष्ठ उप नि.

No: NMPA/DC/Trade Circular/2025/01

30.01.2025

TRADE CIRCULAR

Sub: Harit Shrey – Reg.

In order to promote green shipping under 'Harit Sagar' Green Port Guidelines issued by MoPSW, it has been decided to award eco-friendly vessels on the basis of ESI score given by IAPH.

A scheme "Harit Shrey" is proposed to be initiated, wherein the efforts of ship owners are recognised and appreciated by way of providing discounts in the Port charges with the approval of the Board as follows:

- 1. To fix the quantum of discount on the **Port Dues** component of the Vessel Related Charges, for all vessels which are calling at berths of NMPA for the purpose of cargo operations (loading / unloading):
 - a) Which have an ESI score of 30 or more but less than 40 Half a percent (0.5 %).
 - b) Which have an ESI score of 40 or more but less than 50 One percent (1.0 %).
 - c) Which have an ESI score of 50 or more One and a half percent (1.5 %).
- 2. To avail such discounts the vessel agent will have to produce Vessel master's countersigned copy of the certificate issued by IAPH, clearly listing out the ESI score.
- All vessels calling at NMPA, will have to mandatorily submit the certificate mentioned at (2) above irrespective of whether the discount mentioned at (1) above is applicable or not. If a vessel is not having such a certificate then a self-declaration from the vessel or the agent must be submitted stating that the vessel is not having an ESI score issued by IAPH.
- 4. These discounts shall be applicable for all vessels calling at Ports berths immediately and will be valid till 31.03.2025 and will be reviewed thereafter.

Harbour Master New Mangalore Port Authority

<u>Distribution list</u>:

- 1. The President, Mangalore Steamer Agents Association (with a request to give wide publicity).
- 2. FA&CAO/TM/CME for kind information.
- 3. PS to Chairperson for kind information of Chairperson.
- 4. PS to Dy. Chairperson for kind information Dy. Chairperson.
- 5. Sr.DD (EDP) for publishing in the NMPA website.
- 6. Hindi cell (for translation and further forwarding to Sr.DD(EDP) for publishing in the NMPA website).